भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5430

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा चालित नलकूपों/जलपंपों पर राजसहायता</u>

5430. श्री जसबीर सिंह गिलः

श्री जयंत सिन्हाः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का संपूर्ण देश में सौर ऊर्जा चालित नलकूपों या जल पंपों पर राजसहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एक सौर नलकूप या जल पंप स्थापित करने पर कुल कितनी लागत आती है;

(ग) लक्षित लाभार्थी को राजसहायता की उपलब्धता और वितरण का झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ): मंत्रालय ने किसानों के लिए एक नई योजना अनुमोदित की है जिसमें वर्ष 2022 तक योजना के घटक-ख के अंतर्गत देश में कृषि के लिए 17.5 लाख स्टैण्ड-एलोन सौर जल पंपों की संस्थापना करने का प्रावधान है। योजना के प्रावधान के अनुसार स्टैण्ड-एलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत, जो भी कम हो, के 30 प्रतिशत तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केन्द्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत, जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत तक उपलब्ध होगी। राज्य सरकार भी 30 प्रतिशत राजसहायता देगी।

सौर जल पंप की लागत पंप के आकार और उसके स्वरूप पर निर्भर करती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी बेंचमार्क लागत के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों में 5 एचपी के एसी सौर जल पंप की लागत प्रति एचपी 65,000 रु. थी।

यह योजना माँग पर आधारित है और राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता का आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त माँगों और योजना के अंतर्गत उपलब्ध लक्ष्य क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

*****